(17)

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/09/2026

हिमांशु सिंघल निवासी ग्राम सैदपुरा पोस्ट बंशी बाघरी, तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0 पिन कोड 321301

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार (रिकार्ड रूम) कलै0 भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 26.02.2026**

अपीलार्थी श्री हिमांशु सिंघल निवासी ग्राम सैदपुरा पोस्ट बंशी बाघरी, तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपील इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2026/99 दिनांक 13.02.2026 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर का जवाब पत्रांक जि.अभि./2026/182 दिनांक 23.02.2026 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने अपील में कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध नहीं कराई है, प्रार्थी ने चाही गई सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है।

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील / आरटीआई / 09 / 2026

हिमांशु सिंघल बनाम लो.सू.अ. प्र.अधि. जिला अभिलेखागार

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि "........अपीलकर्ता श्री हिमांशु सिंघल ग्राम सैदपुरा, पोस्ट बंशी बाघरी तहसील रूपवास जिला भरतपुर का कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदनकर्ता श्री हिमान्शु सिंघल निवासी 37 जेडीए कॉलोनी, सवाई गैटोर मालवीय नगर, जयपुर द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आवेदक द्वारा वर्ष 1988 में भगवान टॉकीज से आगे बनी सब्जी मण्डी के पीछे के गेट के सामने नरेश सिंघल के नाम से पंजीकृत किसी भी दुकान / प्लॉट / भूखण्ड की रजिस्ट्री से सम्बन्धित सूचना चाही गई है। उक्त क्रम में कार्यालय के पत्रांक 164 दिनांक 12.012.2025 द्वारा आवेदनकर्ता को श्रीमान अति0 मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्रसु / सू.अ.प्र. / 2009 / पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 द्वारा यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के सम्बन्ध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। चाही गई सूचना हेतु नियमानुसार निरीक्षण कर एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि आपको सूचना उपलब्ध कराई जा सके से जरिये पत्र सूचित कर दिया गया है एवं आवेदनकर्ता से दूरभाष पर सम्पर्क कर निरीक्षण हेतु भी सूचित कर दिया गया है।........"

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर के जबाब से स्पष्ट है कि पंजीकृत किसी भी दुकान / प्लॉट / भूखण्ड की रजिस्ट्री से सम्बन्धित सूचना चाही गई है तो प्रशासनिक सुधार विभाग राज0 जयपुर के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 द्वारा यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के सम्बन्ध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। ऐसी स्थिति में चाही गई सूचना हेतु नियमानुसार निरीक्षण कर एवं निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

की जाँच की जाए तथा उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

अपील/आरटीआई/09/2026
हिमांशु सिंघल बनाम लो.सू.अ. प्र.अधि. जिला अभिलेखागार

कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी को जरिये पत्रांक जि.अभि./2025/164 दिनांक 12.12.2025 से सूचित किया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं हैं प्रार्थी/अपीलार्थी को चाहिये कि वह लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क कर रिकार्ड का अवलोकन कर नियमानुसार वॉछित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार कलै0 भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर